इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अप्रैल 2019—चैत्र 22, शक 1941

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2019

क्र. एफ 13-2-1986-सात-4बी.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 398-2018-सात-4बी, दिनांक 24 मई 2018 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 25 मई 2018 को प्रकाशित हुई है, में मध्यप्रदेश भू-अभिलेख नियमावली भाग-1 के अध्याय 2 (पटवारी प्रशिक्षण एवं परीक्षा) में,—

(1) नियम 8 में शब्द, अंक एवं विसर्ग "अनुपात 70:30 प्रतिशत" के स्थान पर शब्द, अंक एवं विसर्ग "अनुपात 80:20 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किये जाएं;

(2) अनुसूची-2 सैद्धांतिक प्रशिक्षण के विषय के क्रमांक 3 में स्तम्भ-'विषय' में से शब्द "हिन्दी टायपिंग" एवं स्तम्भ 'पाठ्यक्रम' में से अंक एवं शब्द "4. हिन्दी टायपिंग" विलोपित किये जाएं;

(3) अनुसूची-3 प्रायोगिक प्रशिक्षण के विषय में,—

(क) क्रमांक 5 में स्तम्भ 'गतिविधि' में शब्द "बी.एल.पी." के स्थान पर शब्द "बी.पी.एल." प्रतिस्थापित किए जाएं;

(ख) क्रमांक 10 में स्तम्भ 'गतिविधि' में शब्द "वेब जीडेटा एस.आई. सुधार" के स्थान पर शब्द "वेब जी.आई.एस. डेटा सुधार" प्रतिस्थापित किए जाएं; तथा

(4) अनुसूची-4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्,—

"अनुसूची-4 प्रश्न पत्र*

क्रमांक (1)	विषय (2)	पूर्णांक (3)	समयावधि (4)
1	(1) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता एवं अधिनियम व अन्य नियम	100	
2	(2) भू-अभिलेख एवं उससे संबंधित नियम	100	
3	(3) कम्प्यूटर व्यावहारिक	100	3.00 घण्टे
4	(4) पटवारी के कर्तव्यों से जुड़े अन्य विभागों से संबंधित विषय	100	
5	प्रायोगिक प्रशिक्षण	100	02 माह

*नोट : प्रश्न पत्र क्रमांक 1 लगायत 4 का एक ही प्रश्न पत्र होगा, परीक्षा ऑनलाइन होगी, जिसकी समयावधि 3.00 घण्टे होगी."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील दुबे, उपसचिव.

क्र. एफ 2-14-2018-सात-शा.7.—

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के अंतर्गत मध्यप्रदेश -राजस्व संहिता (भू–अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018 का मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक जनवरी 2019 में प्रकाशन किया गया है। उपरोक्त नियमों के अंतर्गत नामांतरण हेतु म्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं–

1. **भूमि में अधिकारों/हितों के अर्जन की रिपोर्ट इलेक्ट्रानिक सिस्टम के माध्यम से किये जाने की प्रकिया–**

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018 के नियम 3(2) के अनुसार आवेदक, भूमि में अपने अधिकारों/हितों के अर्जन की रिपोर्ट, शासन द्वारा इस हेतु निर्मित इलेक्ट्रानिक सिस्टम के माध्यम से कर सकता है। राज्य शासन द्वारा रेवेन्यू केस मेनेजमेंट सिस्टम (आर.सी.एम.एस.) को http://rcms.mp.gov.in पर होस्ट किया गया है। इसी ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से आवेदक अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करा सकेगा। यह प्रयास किया जाये कि भू–अधिकार के अर्जन संबंधी रिपोर्ट यथासंभव ऑनलाइन दर्ज हो। यदि हित अर्जन संबंधी कोई रिपोर्ट ऑफलाइन प्राप्त होती है तो संबंधित राजस्व न्यायालय का यह दायित्व होगा कि वह ऐसी सभी ऑफलाइन रिपोर्ट को आर.सी.एम.एस पोर्टल पर दर्ज करे। यदि वर्तमान में भी कोई ऑफलाइन रिपोर्ट दर्ज होने हेतु लंबित है तो ऐसी रिपोर्ट को भी उपरोक्तानुसार आर. सी.एम.एस. पोर्टल पर दर्ज किया जाये। यह निर्देश ग्राम पंचायतों के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों के लिए भी लागू होगा।

2. नामांतरण पूर्व रेखाचित्र (pre-mutation sketch) का तैयार किया जाना— नामांतरण नियम 3(3) के अनुसार "जहाँ भूमि में ऐसा अधिकार या हित किसी सर्वेक्षण संख्यांक या ब्लॉक संख्यांक या भू—खण्ड संख्यांक के अंश भाग पर अर्जित किया गया है, नामांतरण पूर्व रेखाचित्र (pre-mutation sketch / प्री—म्यूटेशन स्कैच) तैयार कर उपनियम (1) के अंतर्गत दर्ज होने वाली अधिकार अर्जन की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जायेगा"। प्री—म्यूटेशन स्कैच तैयार करने के संबंध में निम्न प्रकिया का पालन सुनिश्चित किया जाये—

(1) ऐसे सभी प्रकरणों में, जहाँ अधिकारों का अर्जन किसी सर्वे नम्बर, ब्लॉक नम्बर या प्लॉट नम्बर के अंश भाग में हुआ है, और उसका स्थल पर सीमांकन किया जाना संभव है, आवेदन पत्र के साथ प्री—म्यूटेशन स्कैच संलग्न कर प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे प्रकरण, जिनमें अधिकारों के अर्जन की रिपोर्ट फार्म I, II, IV, एवं फार्म V में प्रस्तुत की जा रही है, अथवा जहाँ अधिकारों का अर्जन पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर किसी भूमि पर किया गया है अथवा ऐसे प्रकरण जहाँ अधिकारों का अर्जन भू—अर्जन के माध्यम से किया जा रहा है, में प्री—म्यूटेशन स्कैच संलग्न किया जाना होगा।

(2) प्री—म्यूटेशन स्कैच पर भूमि के उस भाग को जिसके अधिकारों के अर्जन संबंधी दावा किया जा रहा है, ग्राम/सेक्टर के क्षेत्र नक्शे में स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जायेगा। स्कैच पर भूमि का सर्वे नम्बर/ब्लॉक/प्लॉट नम्बर जिला, तहसील, राजस्व निरीक्षक मण्डल (यदि लागू है) एवं ग्राम (यदि लागू है) का विवरण अंकित किया जायेगा।

(3) जिन प्रकरणों में 1000 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल की भूमि पर अधिकारों का अर्जन हुआ है उन प्रकरणों में स्कैच को 1:4000 के स्केल पर तैयार किया जायेगा। जहाँ भूमि का क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर से कम है वहाँ स्कैच 1:1000 के स्केल पर तैयार होगा।

(4) जिस भू—भाग पर अधिकारों के अर्जन का दावा किया जा रहा है उसे स्कैच में मूल सर्वे नम्बर/ब्लॉक नम्बर/प्लॉट नम्बर से भिन्न तरीको से छायांकित (Shaded) कर शेष भूमि से पृथक रूप से चिन्हित किया जाएगा।

(5) जहाँ एक से अधिक सर्वे नम्बर/ब्लॉक नम्बर/प्लॉट नम्बर के भाग पर एक ही रिपोर्ट के माध्यम से अधिकारों के अर्जन की सूचना दी जा रही है, वहां यथासंभव एक प्री म्यूटेशन स्कैच में ही समस्त भूमि प्रदर्शित की जायेगी।

(6) जहाँ भूमि के विकय पत्र/ अधिकारों के अर्जन संबंधी अनुबंध के साथ प्री म्यूटेशन स्कैच संलग्न हो वहां पृथक से स्कैच लगाने की आवश्यकता नही है।

(7) प्री म्यूटेशन स्कैच का प्रारूप Annexure-1 एवं उदाहरण Annexure-2 पर संलग्न किया जा रहा है।

3. तहसीलदार द्वारा पटवारी/नगर सर्वेक्षक से प्रतिवेदन लिया जाना–

तहसीलदार नियम 3 मे उसे प्राप्त अधिकार/हित के अर्जन की रिपोर्ट की एक प्रति तत्काल पटवारी/नगर सर्वेक्षक की ओर भेजते हुए, पटवारी/नगर सर्वेक्षक से यह अपेक्षा करेगा कि वह अपना प्रतिवेदन सात दिवस के भीतर उपलब्ध कराये।

4. सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक या प्लॉट नम्बर के अंश भाग के नामांतरण के साथ–साथ नक्शे में बंटाकन–

नामांतरण आदेश पारित करते समय तहसीलदार अधिसूचना कमांक 2543–6408–सात–ना–1 दिनांक 27 जून 1968, जो कि राजपत्र दिनांक 30 अगस्त 1968 में प्रकाशित है के द्वारा संहिता की धारा 68 (मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रभावशील होने के पूर्व की धारा 70) में कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नामांतरण पूर्व रेखाचित्र (प्री–म्यूटेशन स्कैच), यदि स्वीकार्य योग्य है, के आधार पर यथास्थिति ग्राम/सेक्टर/ब्लाक के नक्शे में बंटाकन करेगा और तदानुसार अन्य भू–अभिलेखों में यथा खसरा, खतौनी, भू–अधिकार पुस्तिका आदि में अंकित करेगा।

5. आदेश एवं संशोधित अभिलेखों की अतिरिक्त प्रतियों के प्रदाय की प्रक्रिया–

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018 के अंतर्गत नियम 8 (3) के अनुसार जहॉ कोई पक्षकार नियम 8 के उपनियम–1 के अधीन नियत तिथि को उपस्थित नहीं होता है तो आदेश तथा अद्यतन खसरा और नक्शा की प्रमाणित प्रतियॉ ई–मेल आईडी उपलब्ध होने की स्थिति में, ई–मेल के माध्यम से अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा संबंधित पक्षकार को प्रेषित की जाये।

6. लंबित प्रकरणों की रिपोर्ट आर सी एम एस पोर्टल पर करना–

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018 के नियम 9 की अपेक्षा अनुसार लंबित प्रकरणों की त्रैमासिक रिपोर्ट प्राप्ति हेतु फार्म XI आर.सी.एम.एस पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है, अतः पृथक से रिपोर्ट भेजे जाने की आवश्यकता नही होगी।

संलग्नः (1) Annexure-1
(2) Annexure-2

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Annexure-1: नामांतरण पूर्व रेखाचित्र (प्री म्यूटेशन स्कैच) का प्रारूप

नामांतरण पूर्व रेखाचित्र (प्री म्यूटेशन स्कैच) **(नियम 3(3) देखें)**	
आवेदक का नाम एवं पता	
अधिकारों के अर्जन की सूचना की तारीख एवं क्रमांक	
नक्शे का पैमाना(scale of map)	
भूमि का नक्शा जिस पर अधिकार प्राप्त किए गए हैं	

जिला	तहसील	रा.नि.म. (यदि लागू है)	पटवारी हल्का	ग्राम (यदि लागू है) ....

क्रमांक	सर्वे नम्बर /ब्लाक नम्बर /प्लाट नम्बर	कुल क्षेत्रफल	अधिकार प्राप्त भूमि का क्षेत्रफल
1			
2			
			आवेदक के हस्ताक्षर

Annexure-2: नामांतरण पूर्व रेखाचित्र (प्री म्यूटेशन स्कैच) का उदाहरण

नामांतरण पूर्व रेखाचित्र (प्री म्यूटेशन स्कैच)
(नियम 3(3) देखें)

आवेदक का नाम एवं पता	xxxxx
अधिकारों के अर्जन की सूचना की तारीख एवं क्रमांक	dd/mm/yyyy xyqsjffklaj
नक्शे का पैमाना	1:4000

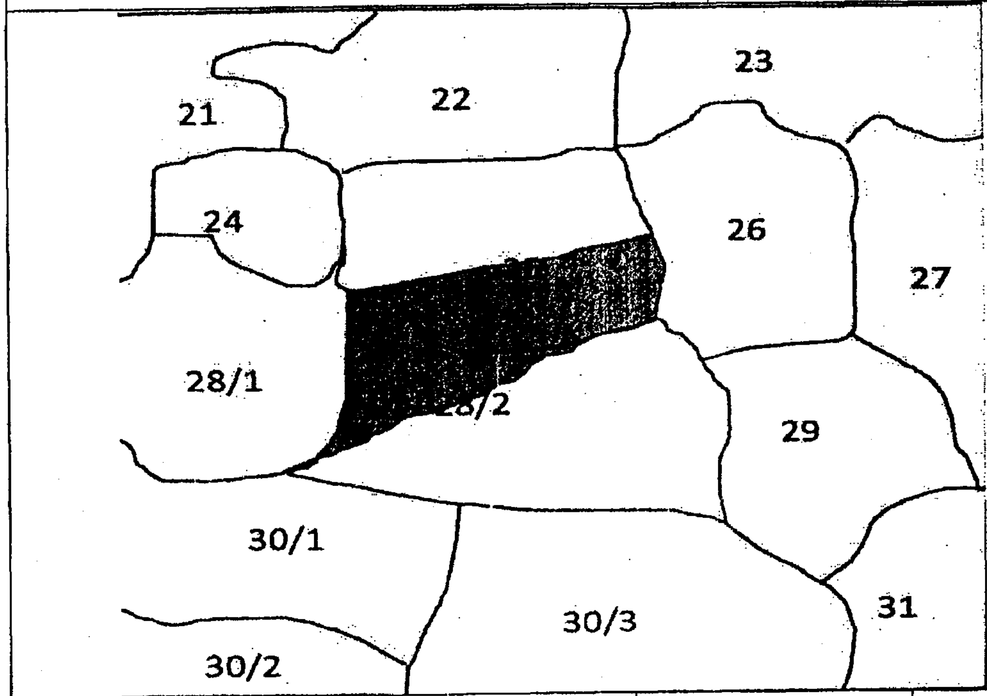

जिला Bhopal	तहसील Berasia	रा.नि.म. Berasia	पटवारी हल्का Budhrod	ग्राम Budhrod
क्रमांक	सर्वे नम्बर /ब्लाक नम्बर /प्लाट नम्बर	कुल क्षेत्रफल (हे0)	अधिकार प्राप्त भूमि का क्षेत्रफल(हे0)	
1	25	1.3	0.6	
2	28/2	1.8	0.4	
आवेदक के हस्ताक्षर				

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.